न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.
राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 16/2018
दायरा तिथि : 16.05.2018
निर्णय तिथि : 27-8-2019

वादी :–
गणाराम पुत्र श्री उमारामजी जाति मेघवाल
नि0 फालनागांव तहसील बाली जिला पाली (राज0)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. संजय पुत्र श्री कीकारामजी
2. विनोद पुत्र श्री कीकारामजी
3. मंगल पुत्र श्री कीकारामजी
4. आशा पुत्री श्री कीकारामजी
5. अंजु पुत्री श्री कीकारामजी
6. मंजु पुत्री श्री कीकारामजी
7. सोनिया पुत्री श्री कीकारामजी
8. श्रीमति कमला धर्मपत्नि श्री कीकारामजी जातिगण मेघवाल
   निवासीगण– फालनागांव तहसील बाली जिला पाली नाबालिग प्रतिवादी संख्या 3, 5, 6,7
   जरिये कुदरती वलिया माता श्रीमति कमला धर्मपत्नि कीकारामजी जाति मेघवाल नि0 फालनागॉव
9. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

उपस्थिति :–

1. श्री भरत जे. राठौड — अभिभाषक वादी की ओर से
2. पैरोकार सरकार — तहसीलदार, बाली

–:: निर्णय ::–   दिनांक : 27-8-2019

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व प्रतिवादीगण पेश कर वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 लगाय 08 के संयुक्त सहखातेदारी में धारित की जा रही भूमि सरहद मौजा फालना गॉव तहसील बाली के खसरा नंबर 235 रकबा 0.92 हैक्टर एवं खसरा नंबर 236 रकबा 0.46 हैक्टर कुल खसरा–02 कुल रकबा 1.88 हैक्टर किस्म चाही दोयम में वादी का 2/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 से 08 का संयुक्त तौर पर 1/3 हिस्सा होना वर्णित करते हुये इन हिस्सो अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। अपने वादपत्र में वादी द्वारा यह भी जाहिर किया गया वादग्रस्त कृषि भूमि में वादी की माता श्रीमति कानुडी 1/3 हिस्सा, जिन्होंने जरिये रजिस्टर्ड हकतर्कनामा दिनांक 05.06.2017 को वादी के हक में हकतर्क कर दिये जाने से हकतर्कनामा के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1336 के द्वारा कानुडी का हिस्सा गणाराम वादी के हक में दर्ज हुआ। जिससे वादी का वादग्रस्त भूमि में 2/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 08 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा हुआ। प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या–01 से 08 बावजुद नोटिस तामील के नियत पेशीयो पर वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहने से प्रतिवादी संख्या 01 से 08 के विरूद्व द्वारा दिनांक 01.04.2019 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या–09 तहसीलदार, बाली के विरूद्व कोई अनुतोष नहीं होने से उनका जवाब अवसर भी बंद करते हुये वादी पक्ष के गवाह गणाराम के बयान लिये गये तथा प्रकरण में वकील वादी श्री भरत जे. राठौड की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी की बहस पर मनन के पश्चात् प्रकरण में दिनांक 02.04.2019 को वादी का 2/3 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 08 का 1/3 हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार, बाली से विभाजन के प्रस्ताव चाहे गये। तहसीलदार, बाली द्वारा दिनांक 29.07.2019 को निम्नानूसार विभाजन रिपोर्ट पेश की :–

क्र.स.	नाम खातेदार	ख.न.	रकबा	किस्म	लगान
1	गणाराम पुत्र उमाजी कौम मेगवाल सा. देह खातेदार	235	0.92	चा.दो. 0.27 जा.दो. 0.65	8.64 7.15
	योग	**1**	**0.92**	–	**15.79**
2	संजय विनोद मंगल पि. कीकाराम आशा अंजु मंजु सोनीया पुत्रीया कीकाराम कमला पत्नि कीकाराम कौम मेघवाल सा. देह खातेदार	236	0.46	चा.दो. 0.09 जा.दो. 0.37	2.88 4.07
	योग	**1**	**0.46**	–	**6.95**

पेज लगातार–––2

उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned by CamScanner

राजस्व वाद संख्या 16/2018 अनवान गणाराम बनाम संजय वगैरा

अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट के संबध में वकील वादी श्री भरत जे. राठौड की बहस सुनी गई। वकील वादी ने बहस मे तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट से सहमति जताते हुये इसी अनुसार फाईनल डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व उभय पक्ष वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात सरहद मौजा फालना गॉव तहसील बाली के खसरा नंबर 235 रकबा 0.92 हैक्टर एवं खसरा नंबर 236 रकबा 0.46 हैक्टर कुल खसरा–02 कुल रकबा 1.88 हैक्टर किस्म चाही दोयम वार्षिक लगान 22.74 रूपये के संबध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 188 के तहत तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट के अनुसार निम्नानुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जाती है:–

क्र.स.	नाम खातेदार	ख.न.	रकबा	किस्म	लगान	नजरी नक्शा मे वर्णित रंग
1	गणाराम पुत्र उमाजी कौम मेगवाल सा. देह खातेदार	235	0.92	चा.दो. 0.27 जा.दो. 0.65	8.64 7.15	केसरीया
	योग	**1**	**0.92**	–	**15.79**	
2	संजय विनोद मंगल पि. कीकाराम आशा अंजु मंजु सोनीया पुत्रीया कीकाराम कमला पत्नि कीकाराम कौम मेघवाल सा. देह खातेदार	236	0.46	चा.दो. 0.09 जा.दो. 0.37	2.88 4.07	पीला
	योग	**1**	**0.46**	–	**6.95**	

वादीगण के हिस्से बंट की भूमि मे प्रतिवादी दखलन्दाजी नही करे इस हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के तहत प्रतिवादीगण के विरूद्व सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की जाती है।

तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट व नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। लगान राशि 22.74 रूपये के पांच गुणा राशि पर देय मुद्रांक पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी हो। रेकर्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, फालनागांव को लिखा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(डॉ. भास्कर बिश्नोई)
आर.ए.एस.
पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

निर्णय आज दिनांक 27-8-2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली